राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या:- 1472/2023

कमल किशोर (कर्मचारी आई.डी.- आरजेकेओ202027043531)

–अपीलार्थी

बनाम

प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.05.2023
आदेश की दिनांक : 07.06.2023

<u>उपस्थित--</u>
अपीलार्थी की ओर से : श्री धर्मेन्द्र जैन, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

<u>आदेश</u>

1. अपीलार्थी ने यह अपील इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की है कि अपीलार्थी को बिना किसी कारण से दिनांक 03.01.2023 से 30.04.2023 तक का बकाया वेतन का भुगतान किया जाये।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी ने इस अधिकरण के समक्ष स्थानांतरण आदेश दिनांक 03.01.2023 को चुनौती दी थी। जिस पर अधिकरण ने अंतरिम स्थगन आदेश पारित करते हुए अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण आदेश आगामी आदेश तक स्थगित किया था और यह आदेश दिया था कि अपीलार्थी को उसी स्थान पर कार्यरत रखा जावें, जहां वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अधिकरण द्वारा पारित उक्त अंतरिम आदेश की पालना में अपीलार्थी उसी स्थान पर कार्यरत है। परंतु अपीलार्थी को वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। अपीलार्थी के अधिवक्ता के उपरोक्त कथनों के आधार पर

अपील ग्राह्य की जाती है तथा यह अपील इस आदेश के साथ निस्तारित की जाती है कि अपीलार्थी को दिनांक 03.01.2023 से बकाया वेतन का भुगतान किया जाये। इस आदेश की पालना 1 माह में की जाये।

3. उपरोक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)